भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या656

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के साथ वैवाहिक बलात्कार

656 श्रीमती कानीमोझीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार, भारत में 75 प्रतिशत विवाहित महिलाओं के साथ वैवाहिक बलात्कार होता है, क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के सभी स्वरूपों को समाप्त करने के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भारत से यह सिफारिश की है कि वह वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध घोषित करें;

(ग) इस देखते हुए, क्या सरकार बलात्कार की परिभाषा से वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में संशोधन करने के लिए विधेयक लाएगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : विदेश मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति ने भारत से अन्य बातों के साथ वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की सिफारिश की है। भारत के विधि आयोग ने बलात्कार कानूनों की समीक्षा संबंधी अपनी 172वीं रिपोर्ट तैयार करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद में संशोधन करके वैवाहिक बलात्कार को अपराध धोषित करने की सिफारिश नहीं की और इसलिए, इस संबंध में भा.दं. सं. में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ): यह समझा जाता है कि वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा, जैसा कि अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, शिक्षा/ असाक्षरता के स्तर , गरीबी, अनेक सामाजिक रीति-रिवाजों और मूल्यों, धार्मिक आस्थाओं, समाज की विवाह को संस्कार के रूप में मानने संबंधी विचारधारा आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण भारतीय संदर्भ में उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा सकती है।

****